न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :– ग्रामीण 05/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. तीसरी मंजिल, सुन्दर विला, वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनीष नारायण कल्ला		• महेन्द्र सिंह पुत्र जेठु सिंह 109, रावला कोट, झालामण्ड जिला जोधपुर • जेठु सिंह पुत्र मुकम सिंह राजपूतों का बास, झालामण्ड जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :– आदेश दिनांक :– **18.03.2024**

1. श्री [illegible]न्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण महेन्द्र सिंह पुत्र जेठु सिंह व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 5,00,000/– मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **जेठु सिंह पुत्र मुकम सिंह** की जायदाद आवासीय सम्पति अवस्थित **ख्सरा नं. 444, गांव झालामण्ड, पट्टा नम्बर 4, पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 221.65 वर्गगज, जिसके उत्तर में नदी एवं मोहनलाल पुत्र देवाराम की सम्पति, दक्षिण में संतोष पुत्र जेठूसिंह की सम्पति, पूर्व में जीवराज सिंह पुत्र मुकन सिंह की सम्पति, पश्चिम में गंगासिंह पुत्र सोहन सिंह की** [illegible] बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर [illegible] व्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) [illegible] नाम से नोटिस जारी [illegible] गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वा[illegible] ऋण राशि मय ब्याज [illegible] 08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:44:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

08..2023 तक 05,20,423/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/– मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 08.08..2023 तक 05,20,423/– रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रांवधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष जेठु सिंह पुत्र मुकम सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **जेठु सिंह पुत्र मुकम सिंह** की जायदाद **आवासीय सम्पति अवस्थित खसरा नं. 444, गांव झालामण्ड, पट्टा नम्बर 4, पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 221.65 वर्गगज जिसके उत्तर में नदी एवं मोहनलाल पुत्र देवाराम की सम्पति, दक्षिण में संतोष पुत्र जेठूसिंह की सम्पति, पूर्व में जीवराज सिंह पुत्र मुकन सिंह की सम्पति, पश्चिन में गंगासिंह पुत्र सोहन सिंह की सम्पति आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:44:28 IST
Reason: SelfAttested